


फर्द अहकाम

सत्यनारायण बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र संख्या:

287/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.09.2024	<p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया बहस प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम सांझरिया पटवार हल्का ठीकरिया तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 62, 62/1168 रकबा 1.4050 हैक्टेयर भूमि स्थित है।</p> <p>उक्त खसरा नम्बरान् में प्रार्थी नाबालिग अजय पुत्र हनुमान सहाय संरक्षक भूरी पत्नि हनुमानसहाय हिस्सा 1/20 अंकित है। प्रार्थी का नाम सरकारी अर्द्धसरकारी कागजातों में मेरा नाम सत्यनारायण अंकित है। अतः उक्त नाम अजय के स्थान पर सत्यनारायण गुर्जर पुत्र हनुमान सहाय गुर्जर निवासी ठीकरिया अंकित करना चाहता है। निवेदन है कि दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है, अतः जमाबन्दी में अजय के स्थान पर सत्यनारायण गुर्जर अंकित करने की कृपा करे।</p> <p>बहस प्रार्थीगण एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन कराने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की कि ग्राम सांझरिया पटवार हल्का ठीकरिया तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या 110 में नाबालिग अजय पुत्र हनुमान सहाय के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र हनुमान सहाय दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 11.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

